न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/84/2021	2021/81	08.10.2021	30.11.2021

01–गुलजारी पुत्र लच्छू माली ग्राम रसनाली तहसील बानसूर जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

01–राज0सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 25.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 252/19

उपस्थितः–

01–श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

02–श्री दीपक मीणा –वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रसनाली के सरकारी भूमि गैर मुमकिन नला के आ.ख.नं. 385 रकबा 23.31 है0 में से 0.20 है0 एवं 0.50 है0 पर कब्जा कर फसल गेहूँ, सरसों आदि बोकर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुना पेनल्टी/– तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर ग्राम रसनाली सरकारी भूमि गैर मुमकिन नला के आ.ख.नं. 385 रकबा 23.31 है0 में से 0.20 है0 एवं 0.50 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। अपीलांट का वर्तमान में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2019 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना अपीलांट को सुने आदेश पारित किया है उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कभी भी आराजी मुतनाजा से भौतिक रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

बेदखल नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण छोडने बाबत तहसीलदार बानसूर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बानसूर ने अपनी मौंका रिपोर्ट क्रमांक 104 दिनांक 12.6. 2020 में अंकित किया है कि प्रश्नगत अतिक्रमित रकबे से अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवाया जा चुका है वर्तमान में अतिक्रमी द्वारा नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। वकील अपीलांट की बहस एवं पत्रावली के अध्ययन करने पर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस शर्त पर अपास्त किया जाना उचित समझते है कि तहसीलदार बानसूर अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुनः जांच करे यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पूर्व आदेश दिनांक 25.02.2019 यथावत रहेगा। यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.2.2019 में 50 गुना पेनेल्टी को यथावत रखा जाता है तथा 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी का अतिक्रमण नहीं पाये जाने की स्थिति में मुक्त किया जाता है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2019 यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 20.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर